2024/376 D

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकरी एवं पदेन सहायक कलक्टर, नावां जिला डीडवाना–कुचामन राजस्थान

राज. सरकार जरिये तहसीलदार कुचामन सा. कुचामन तह. नावां — बनाम — अशोककुमार पुत्र सागरमल जाति पुरोहित वगै. सा. लोरा का बास तह. कुचामन

किस्म कुमदमां : 131, 132 आर.एल.आर.ए. — मुकदमां नम्बर 0192/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुआ
07.06.2024	प्रार्थी तहसीलदार कुचामन ने यह प्रार्थना पत्र पेश किया जो दर्ज रजिस्टर किया जाता है। प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लोरा का बास पटवार हल्का नालोट तहसील कुचामन के खसरा नम्बर 346 रकबा 2.46 हैक्टर किस्म बारानी–1 भूमि में से 0.0340 हैक्टर भूमि वर्षो से मौके पर रास्ते के उपयोग में आ रही हैं। उक्त रास्ते को नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शाया गया है लेकिन उक्त खसरा नम्बरान में से राजस्व रिकार्ड में जमाबंदी में गै.मु. रास्ता दर्ज नहीं होकर बारानी–1 दर्ज हैं। इसलिए उपरोक्त खसरान की अंकित भूमि को गै.मु. रास्ता दर्ज करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। (विश्वामित्र मीना) उपखण्ड अधिकारी, नावां Signature Not Verified Digitally signed by Vishwamitra Meena Date: 2024.09.15 16:23:09 IST Reason: SelfAttested	

Scanned with OKEN Scanner